

पेड न्यूज (paid news) से बढ़ता चुनावी कदाचार

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावों के दौरान पेड न्यूज के प्रयोग के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी राय जाहिर की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव में उम्मीदवार की उपलब्धियों की सराहना करते हुए वजिजापन को बार-बार प्रकाशित करना पेड न्यूज की श्रेणी में आता है। इस तरह के प्रचारों को अभिव्यक्तता की आजादी के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है। दरअसल, चुनाव आयोग ने दलित हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने मध्यप्रदेश के भाजपा नेता नरोत्तम मशिर को आयोग द्वारा अयोग्य ठहराने के फैसले को खारजि कर दिया था।
- आरोप था कि 2008 में मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान में 42 ऐसे समाचार या लेख छापे गए थे जो सीधे तौर पर नरोत्तम मशिर को राजनीतिक फायदा पहुँचाने वाले थे। इसके तहत एक ही खबर को देश के तीन प्रमुख अखबारों में छपवाने का आरोप था। लहिजा, नरिवाचन आयोग ने नरोत्तम मशिर पर तीन साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया था।
- लेकिन, दलित हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को खारजि कर दिया। अब जबकि चुनाव आयोग ने दलित हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, तब यह जरूरी है कि पेड न्यूज को रोकने के लिए कोई पुरखता इंतजाम किया जाए। सवाल है कि जब पेड न्यूज पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए एक रुकावट की तरह है, तब क्या इसे चुनावी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए? गौर करें तो, पेड न्यूज का मसला केवल नेताओं या राजनीतिक दलों तक ही सीमित नहीं है। बल्कि, इसे अंजाम देने में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की भी भूमिका है।
- लहिजा, यह सवाल होना ही चाहिए कि क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब सत्य को खोजने की बजाय व्यावसायिक हितों से नरिदेश प्राप्त कर रहा है? सवाल है कि क्या आज का मीडिया लोकतंत्र के प्रति अपने फर्ज भूल गया है? इसमें कोई शक नहीं कि पेड न्यूज राजनीति और मीडिया के गठजोड़ का नतीजा है और यह गठजोड़ लोकतंत्र की गुणवत्ता को कम कर रहा है। फरि बात जब चुनाव आयोग और प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया को शक्ति देने की होती है तब हमारी सरकारों द्वारा इसे अनसुना कर देना उनकी मंशा पर सवाल खड़े करता है। आइए इन पहलुओं पर विचार करते हैं।

पेड न्यूज से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलु

- चुनाव आयोग के मुताबिक किसी उम्मीदवार के पक्ष में इस प्रकार चुनाव प्रचार करना जिससे कि वह प्रचार भी समाचार अथवा आलेख जैसा प्रतीत हो, पेड न्यूज कहलाता है। प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया का मानना है कि ऐसी खबरें जो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नकद या किसी दूसरे फायदे के बदले में प्रसारित की जा रही हों, पेड न्यूज कहलाती हैं।
- हालाँकि, भारत में मीडिया पर भ्रष्टाचार का आरोप बेहद पुराना है। लेकिन, हाल के वर्षों में यह अधिक संस्थागत एवं संगठित हो गया है। समाचारपत्रों और टी.वी. चैनलों पर किसी विशिष्ट व्यक्ति, कॉरपोरेट इकाई, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों आदि के पक्ष में धन लेकर सूचनाएँ प्रकाशित या प्रसारित करने के आरोप लगते रहे हैं। इस मामले में 2010 का बहुचर्चित नीरा राडिया टेप मामला काफी चर्चा में रहा था। इस मामले में खुलासा हुआ था कि धन के बल पर किस तरह कुछ अखबारों और समाचार चैनलों को मनपसंद खबरें चलाने और लेख छापने के लिए नरिदेश दिए जा रहे थे।
- इसी तरह हाल ही में कोबरा पोस्ट नामक एक वेब पोर्टल ने कई मीडिया हाउसेज के ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें पेड न्यूज पर कई खुलासे हुए थे। इसमें पता चला था कि कैसे धन के बदले में मीडिया हाउस किसी नेता के पक्ष में या किसी के खिलाफ खबरें चलाने के लिए तैयार हो जाती हैं। वैसे यह साबित करना बेहद मुश्किल होता है कि किसी चैनल पर दिखाई गई विशेष खबर या समाचारपत्र में छपी न्यूज पेड है या नहीं। यही कारण है कि पेड न्यूज पर अभी तक शक्ति का सने में कामयाबी नहीं मिली पाई है।
- हालाँकि, पेड न्यूज के मामले में किसी नेता को अयोग्य घोषित करने का मामला पहले भी सामने आ चुका है। वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश के विधायक रहे उमलेश यादव का मामला सामने आया था। पेड न्यूज के प्रकाशन के लिए खर्च की गई धनराशिकी जानकारी छपाने के आधार पर उन्हें अयोग्य ठहराया गया था। गौरतलब है कि उम्मीदवारों को अपने-अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग के सामने रखना पड़ता है। खर्च की भी एक सीमा तय की गई है। लेकिन जब उम्मीदवारों द्वारा खर्च सीमाओं को दरकिनार कर अखबारों में वजिजापन दिया जाता है तब, चुनाव आयोग द्वारा इसे भी गंभीर चुनावी कदाचार माना जाता है। जाहिर है, पेड न्यूज चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का एक बड़ा कारक है।

ऐसे में सवाल है कि पेड न्यूज से किस प्रकार की समस्या पैदा होती है?

- दरअसल, किसी भी पेड न्यूज का मकसद वोटर्स को गुमराह करना होता है। इससे पाठक को गलत सूचनाएँ प्राप्त होती हैं जिससे वह भ्रमति होता है। लहिजा, किसी विशेष राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनता है और चुनाव परिणाम खासा प्रभावित होता है। जाहिर है, इससे पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की उम्मीदों को झटका लगता है और लोकतांत्रिक मूल्यों में गरिवाट आती है।
- दरअसल, पेड न्यूज का एक दूसरा स्वरूप भी है। मसलन- अगर कोई उम्मीदवार एक ऐसा वजिजापन देता है जो वोटर्स को गुमराह करने वाला नहीं होता है। लेकिन, अगर वह उस वजिजापन के खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को नहीं देता है तो वह पेड न्यूज की श्रेणी में आता है। दरअसल ऐसा करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत लागू चुनाव नयिम संहिता, 1961 का उल्लंघन है। इसी तरह, संबंधित समाचारपत्र तथा न्यूज चैनल भी चुनाव उम्मीदवार से मिली आय को अपने बैलेंस शीट में नहीं दर्शाते हैं। इसलिए, वे कंपनी अधिनियम और आयकर अधिनियम दोनों का उल्लंघन करते

हैं।

- दूसरी तरफ, मीडिया द्वारा पेड न्यूज को बढ़ावा देने से लोकतंत्र वरिधी गतवधियों को शह मलि रही है। हालाँकि, मीडिया लोगों के वचिारों को प्रभावति करने या परविरत्ति करने में अहम भूमिका नभिाता है। इसका काम न केवल देश के सामने मौजूद दकिक्तों पर सुझाव देना है। बल्कि, लोगों को शकिषति और सूचति करना भी है ताकि लोगों में जागरूकता को बढ़ावा मलि सके। पर, हाल के वर्षों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मलि हैं, जो यह बताते हैं कि मीडिया का झुकाव सच की खोज के बजाय सयिासी दलों को फायदा पहुँचाने की तरफ ज्यादा हो गया है।
- इसे लोकतंत्र की वडिबना ही कहेंगे कि जिसे मीडिया को लोकतंत्र का फोरथ पलिर कहा गया है, वह मीडिया आज पूंजीपतियों का हमियती बनता दखि रहा है। सच तो यह है कि जैसे-जैसे मीडिया पर पूंजीपतियों का शकिंजा कसता जाता है, वैसे-वैसे मीडिया का चरतिर ज्यादा से ज्यादा जनवरिधी होता जाता है। इसलिये, आम लोगों की जनिदगी की सही तसवीर और मीडिया में उनकी प्रसतुति के बीच एक फासला बढ़ता चला जाता है।
- यह कहना गलत नहीं होगा कि जब मीडिया पूंजी की ताकत से संचालति होता है तब ससिटम के पक्ष में ही जनमत तैयार करने की कोशशि होती है। यह भी एक सचचाई है कि मौजूदा मीडिया ससिटम के पक्ष में जनमत तैयार करने के साथ-साथ एक उद्योग के रूप में मुनाफा कमाने की होड़ में भी शामिल हो गया है और इस होड़ के कारण ही हमारा लोकतंत्र एक अपराधी को भी अपना प्रतनिधिमानने को बेबस है। जाहरि है, पेड न्यूज का इसतेमाल सच पर पर्दा डालने के एक हथियार के रूप में हो रहा है।

आगे की राह

- दरअसल, स्वतंत्र और नषिपक्ष चुनाव कसिी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्राथमकिता होती है। लेकिन, ऐसा न हो पाना कसिी भी ससिटम के लिए चतिा का वषिय है। गौर कीजिए कि अगर राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार आचार संहतिा की धज्जियों उड़ाना शुरू कर दें, मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों को भूलकर पूंजीपतियों का हमियती बन जाए, वोटर्स ईमानदार के बजाय एक अपराधी को वोट देना शुरू कर दें तो, इस व्यवस्था का क्या होगा? यकीनन, हर तरफ अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा और ससिटम पंगु हो जाएगा। जाहरि है, ऐसी स्थिति से बचने के लिए कई स्तरों पर सुधार की दरकार है।
- 2016 में चुनाव आयोग ने देश में चुनाव सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए थे। इन सुझावों में एक यह भी था कि नषिपक्ष चुनाव के लिए पेड न्यूज, ओपनियिन पोल, एग्जटि पोल पर बैन लगाया जाए। दरअसल, ये वो कोशशें हैं जिनके तहत पैसे की उगाही और आचार संहतिा का मजाक बनाना आम बात हो गई है। एक अध्ययन के मुताबकि ज्यादातर राजनीतिक दलों के कुल बजट का लगभग 40 फीसदी मीडिया संबंधी खर्चों के लिए आवंटति होता है। लहिाजा, मीडिया और सयिासी दलों दोनों पर ही शकिंजा कसना वक्त की दरकार है।
- इसके लिये जनप्रतनिधिकानून, 1951 की धारा 123 में संशोधन करके पेड न्यूज के लिए धन के आदान-प्रदान को चुनावी कदाचार घोषति कयिा जाना चाहिए। हालाँकि, अनुच्छेद 19 ए मीडिया की अभवियकर्ता की आजादी को सुनशिचति करता है। लेकिन, समझना होगा कि यह आजादी एकतरफा नहीं है बल्कि, कुछ शर्तों के तहत यह आजादी दी गई है। जाहरि है, मीडिया को अपनी शक्ति के सही रूप में उपयोग करने का सबक मलिगा और इससे समाज में आमूलचूल परविरत्तन आ सकेगा।
- एक सुधार यह भी हो कि प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 15 को संशोधति कयिा जाए जिसमें परिषद की सामान्य शक्ति की चर्चा है। ताकि परिषद के नरिदेश को सरकारी प्राधिकरणों पर भी बाध्यकारी बनाया जा सके। दरअसल, प्रेस काँसलि ऑफ इंडिया को पेड न्यूज की पड़ताल करने की जमिमेदारी तो दी गई है। लेकिन, कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। जाहरि है, यह शक्तिहीन कानून तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक इसे कार्रवाई का हक नहीं मलि जाता।
- इसके अलावा, मीडिया संगठनों में लोकपाल की नयिकृति और सविलि सोसाइटी द्वारा नगिरानी भी इस समस्या से नपिटने में मदद कर सकती है। समझना होगा कि चुनाव, जनता की पसंदगी और नापसंदगी की अभवियकर्ता है। लेकिन, क्या यह चतिा का वषिय नहीं है कि हमारी पसंद और नापसंद को सुनयोजति तरीके से नयित्तरति कयिा जा रहा है। इसी बारे में अमेरिका के प्रसदिध उपन्यासकार अपटन सकिलेयर ने कहा था कि देश जनमत से नयिन्त्तरति होता है और जनमत ज्यादातर समाचारपत्रों से ही नयिन्त्तरति होता है। इससे पता चलता है कि मीडिया द्वारा वोटर्स को प्रभावति करने की परपिाटी कोई नई नहीं है।
- हालाँकि, इसका एक उपाय यह हो सकता है कि जनसरोकारों से जुड़े मीडिया को खड़ा करने की कोशशि की जाए। मुनाफे पर टिके लूट के इस तन्त्र से लड़ने के लिए मौजूदा वक्त में एक वैकल्पकि मीडिया को खड़ा करने की बेहद जरूरत है। हमें यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि पत्रकारतिा के कषेत्तर में हमारे देश का एक गौरवशाली इतहास रहा है। आजादी की लड़ाई में राधामोहन गोकुल जी, प्रेमचन्द, गणेशशंकर वदियार्थी और भगतसहि जैसे लोगों ने अपनी लेखनी से समाज को आगे ले जाने का काम कयिा। आज के समय में भी पूंजी की ताकत से लैस मीडिया के बरक्स जन संसाधनों के बूते एक वैकल्पकि मीडिया खड़ा करना बेहद जरूरी है।
- एक दूसरे पहलू पर गौर करें तो, पेड न्यूज जैसे कदाचार की बड़ी वजह फेसलों में देरी होना भी है। नरोत्तम मशिर् का मामला 2008 के वधिानसभा चुनाव का था और जब नरिवाचन आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषति कयिा तब तक वह 2013 का चुनाव जीत चुके थे। इस तरह के मामलों में वलिम्ब की वजह, उम्मीदवारों द्वारा अपने वरिद्ध जाँच को रोकने के लिए अदालतों की शरण में जाना है। उम्मीदवार को पता होता है कि उसे दोषी साबति करने में अदालत को सालों नहीं बल्कि, दशकों लग जाएंगे। लहिाजा, वह इस कमजोर व्यवस्था का लाभ उठाता है और चुनाव को प्रभावति करने की भरसक कोशशि करता है।

हमें समझना होगा कि नरोत्तम मशिर् या उमलेश यादव का मामला केवल एक पेड न्यूज का मामला भर नहीं है। बल्कि, ससिटम के सामने एक चुनौती पेश करने जैसा है। यह कोशशि ससिटम को कमजोर दखिाने जैसा है। लहिाजा यह बेहद जरूरी है कि चुनाव आयोग और प्रेस काँसलि ऑफ इंडिया को चुनावी कदाचार रोकने के लिए और अधिकार दिए जाएँ। लेकिन, सवाल है कि जिसे ससिटम का हसिा समझे जाने वाले लोग ही चुनावी कदाचार को अंजाम देकर चुनाव जीतने पर आमादा हों, क्या वे ही कानून में संशोधन कर पारदर्शी चुनाव की सोच को अमलीजामा पहना सकेंगे?

[ऑडियो आर्टिकल के लिए क्लिक करें.](#)

